RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १३] बुधवार, एप्रिल ८, २०१५/चैत्र १८, शके १९३७ [पृष्ठे १५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ८ अप्रैल २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXII OF 2015.

A BILL

TO PROVIDE FOR DELIVERY OF TRANSPARENT EFFICIENT AND TIMELY PUBLIC SERVICES TO THE ELIGIBLE PERSONS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २२, सन् २०१५।

महाराष्ट्र राज्य में पात्र व्यक्तियों को पारदर्शक, कार्यक्षम और समय पर परिदान के लिए, लोक सेवाएँ मुहैया करने और उससे तत्संबंधी या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के पात्र व्यक्तियों को पारदर्शक, कार्यक्षम और समय पर परिदान के लिए लोक सेवा मुहैया करने के उद्देश से विभागों और सरकारी अभिकरणों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों मे पारदर्शकता और जवाबदेहिता लाने के लिए जो पात्र व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करेगा और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक व्यापक विधि बनाना इष्टकर है; इसलिए भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है:—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, २०१५ कहलाए । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भण तथा प्रयुक्ति।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

(४) वह ऐसे लोक प्राधिकरणों को लागू होगा जो किसी भी विधियों, नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, सरकारी संकल्पों या किन्हीं अन्य लिखतों के उपबंधों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को लोकसेवा मुहैया करना है ।

परिभाषाएँ । **२.** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) " मुख्य आयुक्त " या " आयुक्त " का तात्पर्य, धारा १३ की उप-धारा (२) के अधीन, नियुक्त किये गये सेवा के अधिकार के लिए राज्य मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, सेवा के अधिकार के लिए राज्य आयुक्त से है ;

(ख) " आयोग " का तात्पर्य, धारा १३ की उप-धारा (१) के अधीन सेवा के अधिकार के लिए गठित राज्य आयोग से है ;

(ग) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, अनुशासनिक प्राधिकारी या यथास्थिति, नियंत्रण अधिकारी से है ;

(घ) " विभाग " का तात्पर्य, राज्य सरकार का विभाग या, यथास्थिति, सार्वजनिक प्राधिकरण से है ;

(ड.) " पदाभिहित अधिकारी " का तात्पर्य, कोई अधिकारी, जिसे पात्र व्यक्तियों को लोक सेवाएँ मुहैया करना आवश्यक है, से है ;

(च) " विभागीय आयुक्त " का तात्पर्य, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा ६ के अधीन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये आयुक्त से है ; सन् १९६६ का महा. ४१।

(छ) " पात्र व्यक्ति " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति जो लोक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है और उसमें विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है, से है ;

(ज) " प्रथम अपील अधिकारी " का तात्पर्य, धारा ८ की, उप-धारा (१) के अधीन, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी से है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " स्थानीय प्राधिकरण " का तात्पर्य, विधि द्वारा गठित किसी प्राधिकरण, नगर निगम, **नगर परिषद**, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी, योजना प्राधिकरण, **जिला परिषद**, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय स्वायत्त शासनों से है ; और इनमें विकास प्राधिकरण या अन्य सांविधिक या असांविधिक निकाय भी सम्मिलित होंगे ;

(ट) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(ठ) " लोक प्राधिकरण " का तात्पर्य,—

(क) सरकार का कोई विभाग या प्राधिकरण ;

(ख) स्थापित या गठित किए गए किसी संगठन या प्राधिकरण या निकाय या निगम या संस्था या स्थानीय प्राधिकरण से है,—

(एक) राज्य में, भारतीय संविधान के द्वारा या के अधीन ;

(दो) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अन्य किसी विधि द्वारा ;

(तीन) सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा ;

(ग) और इसमें,—

(एक) राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या वित्तीय संस्थान, सहकारी संस्था, सरकारी कंपनी या कोई प्राधिकरण सम्मिलित होंगे ; या

(दो) राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाला कोई गैर-सरकारी संगठन ;

(ड) " लोक सेवाएँ " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन ऐसी सेवाएँ, जैसे कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाने से है ;

(ढ) " सेवा का अधिकार " का तात्पर्य, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा, समय-समय से अधिसूचित अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, लोक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों के अधिकार से है ;

(ण) " द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा ८ की उप-धारा (२) के अधीन संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

(त) " अनुबद्ध समय सीमा " का तात्पर्य, पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्ति को मुहैया की जानेवाली अधिसूचित लोक सेवाओं के भीतर, धारा ३ के अधीन, यथा अधिसूचित की गई समय सीमा से है ;

सार्वजनिक सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, अपील प्राधिकरणो और अनुबद्ध समय सीमा को अधिसूचित किया जायेगा।

३. (१) सार्वजनिक प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर, और तत्पश्चात्, समय-समय पर, उसके पदाभिहित अधिकारी, प्रथम और द्वितीय अपील प्राधिकारी और अनुबद्ध समय सीमा के साथ उसके द्वारा दी गई लोक सेवाओं को अधिसूचित करेगा।

(२) सार्वजनिक प्राधिकरण कार्यालय के सूचना बोर्ड पर, पदाभिहित अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के विस्तृत विवरण के साथ उसके द्वारा दी गई लोक सेवाओं की सूची को प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने का प्रबंध कराएगा।

अनुबद्ध समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार ।

४. इस अधिनियम के अनुसरण में, विधि, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के अध्यधीन, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, राज्य में लोक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार होगा ;

(२) विधि, तकनीकी, और वित्तीय व्यवहार्यता के अध्यधीन, सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, पात्र व्यक्ति को लोक सेवाएँ मुहैया कराएगा :

परंतु, निर्वाचन की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अनुबद्ध समय-सीमा विस्तारित की जायेगी साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं में, जैसा की विहित किया जाए ऐसी बढ़ाई जायेगी।

अनुबद्ध समय सीमा के भीतर सेवा मुहैया करना ।

५. (१) ऐसी लोक सेवा प्राप्ति के लिए आवेदन, पदाभिहित अधिकारी को प्रत्येक पात्र व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा। आवेदन की सम्यक् प्राप्ति पर, अभिस्वीकृति की जायेगी और आवेदक को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए, ऐसे आवेदन के निपटान के लिए अनुबद्ध समय सीमा के साथ आवेदन प्राप्ति का विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान, विशिष्ट आवेदन क्रमांक संसूचित किया जायेगा। अनुबद्ध समय, लोक सेवा प्राप्त करने के लिए सभी संबंधितों से पूर्ण अपेक्षित आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या उसके अधीन व्यक्ति को जो आवेदन प्राप्त करने के लिए सम्यक्तया प्राधिकृत किया गया है, उसके आवेदन प्राप्ति के दिनांक से शुरू होगा।

(२) पदाभिहित अधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर सेवा सीधे मुहैया या मंजूर करेगा या ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन अस्वीकृत करेगा । पदाभिहित अधिकारी, के आदेश के विरुद्ध की जानेवाली अपील, अवधि और जिसके पास दाखिल करवाना है उस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का उसके कार्यालयीन पते सहीत नाम और पदनाम के बारे में आवेदक को लिखित में संसूचित भी करेगा।

आवेदन की स्थिति का नियंत्रण ।

६. (१) किसी लोक सेवाओं के लिए आवेदन करनेवाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट आवेदन का क्रमांक मुहैया करेगी ताकि नियमों के अधीन विहित की जाए ऐसी प्रक्रिया के प्रचालन के अनुसार, वह ऑन लाईन की ऐसी प्रणाली जिस स्थान में है वहाँ उसके आवेदन की सद्यःस्थिति का नियंत्रण कर सकेगा।

(२) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, जहाँ ऑन लाईन की ऐसी प्रणाली कार्यान्वित है वहाँ संबंधित लोक सेवाओं के सभी आवेदनों की स्थिति अद्यतन करने के लिए कर्तव्य हेतु आबद्ध होगा ।

लोक सेवाएँ देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ।

७. सरकार, अनुबद्ध समय के भीतर उनकी संबंधित लोक सेवाएँ प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सभी लोक प्राधिकरणों को प्रोत्साहन देगी और स्फूर्ती देगी ।

अपील प्राधिकरणों की नियुक्ति ।

८. (१) सार्वजनिक प्राधिकरण, वर्ग क या उसके समतुल्य श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो पदाभिहित अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठतम है तो, प्रथम अपील प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जायेगा, और विहित की जाए ऐसी निम्न सम्यक प्रक्रिया के पश्चात्, लोक सेवा मुहैया करने में अपनी प्रयुक्ति या विलंब की अस्वीकृति के विरुद्ध पात्र व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई और विनिश्चिय करेगा ।

(२) सार्वजनिक प्राधिकरण, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी के आदेश के विरुद्ध में पात्र व्यक्ति साथ ही साथ पदाभिहित अधिकारी द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई और निर्णय देने के लिए द्वितीय अपील प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्रथम अपील अधिकारी की श्रेणी से उच्चतम श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति करेगी ।

अपील ।

९. (१) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा ५ की उप-धारा (२) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जो अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर, लोक सेवा नागरिकों को मुहैया नहीं करता हैं तो आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर या अनुबद्ध समय-सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा :

परंतु, प्रथम अपील प्राधिकारी, अपवादिक मामलों में, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकृत कर सकेगा परंतु नब्बे दिनों को ज्यादा से ज्यादा समय के अध्यधीन यदि इसका समाधान होता है कि, अपील समय में अपील दायर करने से अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था ।

(२) प्रथम अपील प्राधिकारी, पात्र व्यक्ति को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अवधि के भीतर, सेवा मुहैया करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को निदेश देगा परंतु, जो साधारणतः अनुबद्ध समय-सीमा से बढ़ायी नहीं जायेगी या वह अपील दायर कराने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील को अस्वीकृत कर सकेगा । अपील की अस्वीकृति के मामले में, वह ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा :

परंतु, अपील के विनिश्चय के पूर्व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता साथ ही पदाभिहित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए सम्यक्तया प्राधिकृत उसका कोई अधिनस्थ को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(३) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध दूसरा अपील जिस पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है के दिनांक से तीस दिनों के अवधि के भीतर या किसी मामले में जहाँ अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है वहाँ प्रथम अपील प्रस्तुत करने के पैंतालीस दिनों के पश्चात्, दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परंतु, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपवादात्मक मामलों में तीस दिनों या यथास्थिति पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, अपील स्वीकृत कर सकेगा। परंतु, नब्बे दिनों के ज्यादा से ज्यादा समय अध्याधीन यदि उसका समाधान होता है कि, समय में अपील दायर करने से अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था ।

(४) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, उसके आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी अवधी के भीतर अपीलकर्ता को सेवा मुहैया करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को निदेश दे सकेगा या वह अपील दायर कराने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, अपील अस्वीकृत कर सकेगा, ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा :

परंतु, कोई आदेश जारी करने के पूर्व, दूसरा अपीलिय प्राधिकारी, अपीलकर्ता साथ ही साथ पदाभिहित अधिकारी, या, यथास्थिति इस प्रयोजन के लिए सम्यक्तया प्राधिकृत किसी अधीनस्थ को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(५) इस धारा के अधीन किसी अपील पर विनिश्चिय करते समय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निम्न मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद के विचारण करते समय जो शक्तियाँ सिविल न्यायालय में निहित है वह शक्तियाँ होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५ ।

(क) दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रस्तुत करना और जाँच करना ;

(ख) सुनवाई के लिए समन्स जारी करना ; और

(ग) अन्य कोई मामले जिसे विहित किया जाए।

१०. (१) (क) यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी, उचित और पर्याप्त कारणों के बिना, लोक सेवा मुहैया करने में असफल रहता है, तब वह राज्य सरकार द्वारा समय-समय से **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी जो पाँच सौ रूपये से कम न हो परंतु पाँच हजार रूपये से अनाधिक हो ऐसी शास्ति का अधिरोपण कर सकेगा । शास्ति ।

(ख) यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह भी राय है कि उचित या पर्याप्त कारणों के बिना अनुबद्ध समय सीमा के भीतर, लोक सेवा प्रदान करने में पदाभिहित अधिकारी चूक करता है, तो वह लिखित में कारणों के साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति की पुष्टि या परिवर्तन कर सकेगा :

परंतु, पदाभिहित अधिकारी, पहले उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(२) यदि आयुक्त की राय यह है कि किसी पर्याप्त तथा यथोचित कारण के बिना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अपील का निर्धारण करने में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी बारंबार असफल रहा है या अनुचित रुप से दोषी पदाभिहित अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहा है तब, वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पर जो कि पाँच सौ रुपयों से कम नहीं किन्तु वह पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाई जा सकेगी ऐसी शास्ति या **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर सरकार द्वारा यथा पुनरीक्षित ऐसी रकम अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उस पर अरोपित जो कोई शास्ति अधिरोपित करनी है उसके पूर्व, उसे सुनवाई का उचित अवसर देगा ।

११. संबधित अपीलीय प्राधिकारी लिखित में, अधिरोपित शास्ति के रकम के बारे में, पदाभिहित अधिकारी के साथ-साथ लोक प्राधिकारी को संसूचित करेगा। पदाभिहित अधिकारी, जहाँ अपील दाख़िल की गई है ऐसे मामलों को छोड़कर, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, शास्ति की रकम अदा करेगा, जो असफल सक्षम प्राधिकारी है वह संबंधित पदाभिहित अधिकारी के वेतन से शास्ति की रकम वसूल करेगा। शास्ति की वसूली के लिए प्रक्रिया।

१२. (१) लोकसेवाएँ मुहैया करने या लोकसेवाएँ मुहैया करने में प्रायिक विलंबों के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरणों के निदेश के अनुपालन में, प्रायिक चूककर्ताओं से संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध प्रायिक चूककर्ताओं के बारे में, द्वितीय प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, उसके इस स्पष्टीकरण के बुलावे के लिए पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, पदाभिहित अधिकारी को क्यों न उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्राप्त की जाये इसकी कारण बताओ नोटीस जारी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी, यथा लागू अनुशासन नियमों तथा आचरण के अधीन पदाभिहित अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करेगा। प्रायिक चूककर्ताओं के लिए पदाभिहित अधिकारी पर जिम्मेदारी नियत करने हेतु प्रक्रिया ।

(२) ऐसी नोटीस की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, जिस पदाभिहित अधिकारी के विरुद्ध ऐसी नोटीस जारी की गई है वह सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन करेगा। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है या स्पष्टीकरण संतोषजनक दिखाई नहीं देता है तो सक्षम प्राधिकारी लोक प्राधिकरण के आचरण तथा अनुशासनिक नियमों में रखी गई विभागीय पूछताछ के साथ कार्यवाही करेगा :

परंतु, यदि सक्षम प्राधिकारी, पदाभिहित अधिकारी के पक्ष में उचित तथा न्यायसंगत निष्कर्ष निकालती है और इस निर्णय पर आती है कि पात्र व्यक्तिओं को सेवाओं की सुपूर्दगी करने में हुए विलंब उस पर फलस्वरूप नहीं थे किन्तु किसी अन्य पदाभिहित अधिकारी पर फलस्वरूप थे तो उसके विरुद्ध ऐसी नोटीस प्रत्याहृत करना सक्षम प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन पदाभिहित अधिकारी पर जिम्मेवारी नियत करते समय, सक्षम प्राधिकरण उस संबंध में आदेश जारी करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करेगी और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देगी।

राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन ।

१३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, **राजपत्र** में. अधिसूचना द्वारा, एक आयोग गठित करेगी जो सेवा का अधिकार के लिए राज्य आयोग नाम से जानी जाएगी :

परंतु, जब तक राज्य सरकार द्वारा आयोग गठित नहीं किया जाता है तब तक सरकार **राजपत्र** में, अधिसूचना व्दारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित प्रत्येक जिले में राजस्व आयुक्त को तथा किसी अन्य सरकारी अधिकारी को आयोग की शक्तियाँ तथा कृत्य,—

(क) केंद्र सरकार की सहमति के साथ राज्य सूचना मुख्य आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों को ; या

(ख) प्रत्येक राजस्व विभाग में विभागीय आयुक्त या किसी अन्य सरकारी अधिकारी को सुपूर्द करेगी।

(२) राज्य सेवा अधिकारी आयोग,—

(क) सेवा अधिकार के लिए राज्य मुख्य आयुक्त : और

(ख) सेवा अधिकार हेतु प्रत्येक राजस्व विभाग के लिए, नियुक्त राज्य आयुक्त से मिलकर बनेगा।

(३) निम्न से मिलकर बनी समिति कि सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त किए जाएँगे,—

(एक) मुख्यमंत्री, जो समिति का सभापति होगा ;

(दो) विधान सभा में विरोधी दल का नेता ; और

(तीन) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री ।

स्पष्टीकरण.—संदेहो के निराकरण के प्रयोजनों के लिए, एतदद्वारा यह घोषित किया गया है कि जहाँ विधान सभा में ऐसा विरोधी दल का नेता मान्य नहीं हुआ हो तब विधान सभा में विरोधी सरकार का एकल बड़े दल का नेता विरोधी दल का नेता समझा जाएगा।

(४) आयोग के कारबारों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा व्यवस्थापन मुख्य आयुक्त में निहित होंगे जो आयुक्तों द्वारा सहायता प्रात कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेश के अधीन न रहते हुए, स्वतंत्र रुप से आयोग द्वारा जिन शक्तियों या कृत्यों को प्रयुक्त किया जाएगा या पूरा किया जाएगा ऐसी सभी शक्तियाँ और ऐसे सभी कृत्य प्रयुक्त या पूरा कर सकेगा।

(५) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त सरकार के प्रशासन तथा लोक प्राधिकरण में अनुभव और विस्तृत ज्ञान के साथ सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्ति होंगे।

(६) मुख्य आयुक्त या आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य या किसी राजनीतिक दल से संबंधित या किसी अन्य पद का लाभ धारण या कोई व्यापार करनेवाला या कोई पेशा निभाने वाला नहीं होगा।

(७) आयोग का मुख्यालय, मुंबई में होगा तथा आयुक्तों के कार्यालय प्रत्येक राजस्व विभाग में होंगे।

पदावधि तथा सेवा की शर्तें।

१४. (१) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त जिस दिनांक को वे अपने-अपने पदों पर भरती हुए उस दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या अपनी आयु के पैंसठ वर्षों की आयु की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होंगे।

(२) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, इस निमित्त राज्यपाल या किसी अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा उसे नियुक्त किया गया उनके समक्ष उसके पद पर भरती होने के पूर्व विहित प्रारुप के अनुसार शपथ या अभिकथन बनाएगा और अनुमोदन करेगा।

(३) मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भी समय पर राज्यपाल के नाम से अपने हस्ताक्षर के साथ अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा।

(४) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के देय वेतन तथा भत्ता और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तें क्रमशः राज्य सरकार के निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव इनके समान ही होंगे । जो उन्हें पूर्व-नियुक्ति से प्राप्त हो रहा है उसे छोड़कर इस पद से कोई पेन्शनी लाभ या अन्य परवर्ती-सेवा निवृत्ति लाभ प्रोद्भूत नहीं होंगे :

परंतु, यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त, उसकी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन, किसी पूर्व सेवा के संबंध में निर्योग्यता या हानि पेन्शन से अन्यथा पेन्शन की प्राप्ति में सेवा के संबंध में उसका वेतन मुख्य आयुक्त या आयुक्त जो परावर्तित पेन्शन था उसके किसी भाग समेत और सेवा निवृत्ति परिदान के समतुल्य पेन्शन निकालकर सेवा निवृत्ति लाभों के अन्य प्रारुप के समतुल्य पेन्शन की रकम से घटा दिया जाएगा :

परंतु आगे यह कि, जहाँ मुख्य आयुक्त या आयुक्त, यदि उसकी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निजी या नियंत्रित सरकारी कंपनी के व्दारा या के अधीन स्थापित निगम में प्रस्तुत किसी पूर्व सेवा के संबंध में, सेवा निवृत्ति लाभों की प्राप्ति में, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रुप में सेवा के संबंध में उसका वेतन सेवा निवृत्ति लाभों के समतुल्य पेन्शन की रकम द्वारा कम किया जाएगा :

परंतु, यह भी कि, मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनकी असुविधा के लिए परिवर्तित नहीं की जाएगी।

(५) सरकार, इस अधिनियम के अधीन, उनके कृत्यों के कार्यक्षम निष्पादन के लिए ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ मुख्य आयुक्त और आयुक्तों का उपबंध करेगी तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें जैसा कि विहित किया जाए ऐसे होंगी।

मुख्य आयुक्त या आयुक्तों को हटाना।

१५. (१) राज्यपाल, उप-धारा (२) के उपबंधों का पालन करने के पश्चात्, राज्य सरकार की सिफ़ारिश पर मुख्य आयुक्त या आयुक्त को पद से हटा सकेगा ; यदि वह—

(क) न्यायनिर्णित दिवालिया किया गया है ; या

(ख) ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है ; या

(ग) उसकी पदावधि के दौरान, उसके पदीय कर्तव्यों के बाहर कोई वेतनभोगी रोजगार करने में लगा है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, शारीरिक या मानसिक रुप से असमर्थ होने के कारण उसके पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त है ; या

(ङ) मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रुप में ऐसे आर्थिक या अन्य हित आर्जित किए है जो उक्त किसी समर्थताओं में उसके कृत्यों पर प्रतिकूलतः प्रभाव डाल सकता हो ।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य आयुक्त या कोई आयुक्त तब तक उसके पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि बंबई न्यायाधिकरण के उच्चतर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त या आयुक्त की बरखास्तगी के लिए आधारों तथा ऐसे प्रस्ताव के सहायक उपादानों के साथ प्रस्तावित बरखास्तगी पर पूछताछ करने की सिफारिश का संदर्भ नहीं दिया गया है।

आयोग की शक्तियाँ तथा कृत्य।

१६. (१) इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना तथा लोक सेवाओं की बेहतर सुपूर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार को परामर्श करना यह आयोग का कर्तव्य होगा। इस प्रयोजन के लिए आयोग,—

(क) इस अधिनियम के अनुसार सेवा की सुपूर्दगी करने में असफलता की नोटीस स्वप्रेरणा से लेना तथा निपटान के लिए जैसा उचित समझे ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करना ;

(ख) सेवाओं की सुपूर्दगी के साथ सौंपी गई पदों की तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के पदों की जाँच-पड़ताल कार्यान्वित करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उन पर सौंपे गए कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन में जो असफल हुए है ऐसे किसी पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारियों के विरुद्ध विभागीय पूछताछ की सिफ़ारिश करना ;

(घ) सेवाओं की सुपूर्दगी के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन की सिफारीश करना जिससे अधिक पारदर्शक तथा सरल सुपूर्दगी की जा सके :

परंतु, ऐसी सिफारिश बनाने के पूर्व, आयोग जो सेवा को सुपूर्द करता है उस विभाग के प्रभारी प्रशासनिक सचिव से परामर्श करेगा ;

(ङ) लोक सेवाओं की कार्यक्षम सुपूर्दगी के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कदम उठाने की सिफारिश ;

(च) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लोक सेवाओं की सुपूर्दगी का मानिटर करेगा।

(२) आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच-पड़ताल करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद का प्रयोग करते समय सिविल न्यायालय में निहित जो शक्तियाँ हैं, वही होंगे, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) व्यक्तियों की उपस्थिति को बुलावा भेजना तथा प्रवर्तित करना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या बातों को पेश करने के लिए उन्हें बाध्य करना ;

(ख) दस्तावेजों के अन्वेषण तथा जाँच माँग करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से उसके लिए किसी लोक अभिलेखों या प्रतियों की अधिसूचना करना ;

(ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य मामला जैसा कि विहित किया जाए।

आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्यवाही।

१७. राज्य सरकार, धारा १६ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग), (घ) तथा (ड़) के अधीन, आयोग द्वारा बनायी गयी सिफारिशों का विचार करेगी और तीस दिनों की अवधि के भीतर या आयोग के साथ परामर्श में विनिश्चित किये जाये, ऐसे दीर्घतर समय में ली गई कार्यवाही की सूचना आयोग को भेजेगी।

आयोग को अपील।

१८. द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के किन्हीं आदेश द्वारा व्यथित हुये पात्र व्यक्ति या पदाभिहित अधिकारी आयोग के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ़ दिनो की अवधि के भीतर, अपील दायर कर सकेगा।

(२) मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, आयुक्त ऐसी अपील की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनो की अवधि के भीतर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निपटान करेगा। आयोग, पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करेगा या अधिरोपित शास्ति परिवर्तित या रद्द करेगा, और यदि किन्हीं, ऐसी प्रदत्त शास्ति लौटाने का आदेश कर सकेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

१९. (१) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कार्यों के साथ साथ, लोक सेवायें देने में, सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सेवाओं की सुपुर्दगी के पालन के मूल्यांकन पर रिपोर्ट बनायेगा, और राज्य सरकार को वही प्रस्तुत करेगा।

(२) राज्य सरकार, आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर सेवाओं की सुपुर्दगी की संस्कृति का विकास करना।

२०. (१) सभी सार्वजनिक प्राधिकरण लोकसेवाएँ प्राप्त करने के लिये विभिम्न प्रमाणपत्र, दस्तावेज, शपथ-पत्र आदि, प्रस्तुत करने के लिए किसी पात्र व्यक्तियों से माँग को कम करने के लिये समयबध्द प्रभावी कदम उठा सकेंगे। सार्वजनिक प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से सीधे आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिये सम्मिलित प्रयास करेगा।

(२) अनुबध्द समय सीमा के भीतर, लोक-सेवाओं की सुपुर्दगी के लिये, पदाभिहित अधिकारी की तरफ से असफल होने पर प्रयोजन के रूप में कदाचार की ओर नहीं गिना जायेगा और पदाभिहित अधिकारी को, पात्र व्यक्ति की अभिलाषा की ओर संवेदनशील करना तथा अनुबध्द समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को लोकसेवाओं की सुपुर्दगी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और ई-प्रशासन अपनाने का लक्ष्य है।

(३) पदाभिहित अधिकारी की तरफ से प्रायिक चूक के संबंध में, द्वितीय अपील प्राधिकारी या मुख्य आयुक्त या, यथास्थिति, आयुक्त से लिखित में सूचना की प्राप्ति पर, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण का इस प्रभाव के तथ्यों के अभिलेखन के पश्चात्, उचित प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा, परंतु चूककर्ता अधिकारी को कारण बताओ सूचना और सुनवाई का अवसर देने के पूर्व कार्यवाही नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, पदाभिहित अधिकारी, यदि, वह एक वर्ष में, कुल पात्र मामलों में दस प्रतिशत चूक करता है तो, वह प्रायिक चूककर्ता समझा जायेगा।

(४) सभी पदाभिहित अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों को लोक सेवाओं की समयबध सुपूर्दगी को बढाने और सुनिश्चित करने के लिये एक कालिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य सरकार, सभी संबंधित अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण प्रक्रिया सुकर करेगी और यह अधिकारियों और या कर्मचारियों के पाठ्यक्रम के आधार में पाठ्यचर्या का भाग होगी।

(५)(क) पदाभिहित अधिकारियों की कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने और बढावा देने के लिये, सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रमुख, पदाभिहित अधिकारी के पक्ष में, जिसके विरूद्ध एक वर्ष में कोई चूक प्रतिवेदित नहीं की गई है और जो अनुबध्द समय-सीमा के पूर्व सेवायें देता हो, अधिमूल्य के प्रमाणपत्र के साथ सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये ऐसी रकम को नकद प्रोत्साहन की मंजूरी कर सकेगा और संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी।

(ख) राज्य सरकार सार्वजनिक प्राधिकरण जो, इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, को बढ़ावा देने के लिये समुचित पुरस्कार दे सकेगी।

निधि का आंबटन।

२१. सरकार, इस अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिये और पदाभिहित अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और उनके कर्मचारीवृंदों के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त निधि आबंटित करेगी।

अनुशासनात्मक नियमों के अनुपूरक उपबंध।

२२. इस अधिनियम की धारा ९, १२ और धारा २० की उप-धारा (३) के उपबंध, अनुशासनात्मक और वित्तीय नियमों के लिये अनुपूरक होंगे और ऐसे अन्य सेवा नियम और विनियम सरकार या यथास्थिति, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारियों को लागू होंगे।

झूठ या तुच्छ सूचना आदि देने के लिए पात्र व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही।

२३. यदि कोई पात्र व्यक्ति, आवेदन में जानबूझकर झूठ या तुच्छ सूचना जानबूझकर देता है और ऐसी सूचना या दस्तावेजों के आधार पर इस अधिनियम के अधीन लोक सेवायें प्राप्त करता है, उस मामले में, तत्समय प्रवृत्त दण्ड-विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

निदेशों को जारी करने की सरकार की शक्ति।

२४. राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण को, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये लिखत में, ऐसे सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी और सार्वजनिक प्राधिकरण, ऐसे निदेशों के अनुसरण के अनुसार और कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

२५. इस अधिनियम या किसी नियमों या तद्धीन बनाये गये के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी।

अधिकारिता का वर्जन।

२६. किसी भी सिविल न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, जिस आयोग या अपील प्राधिकरण को सशक्त किया गया है उसके किसी मामले के संबंध में अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

अन्य विधियो में अधिनियम का अभिभावी होना ।

२७. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अनअसंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति।

२८. (१) सरकार, पूर्ववर्ती प्रकाशन के शर्तों के अध्यधीन, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, चाहे एक सत्र में हो या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो को मिलाकर हो, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम नहीं बनाया जाए, और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है तो नियम **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसा विनिश्चय ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या करने से छोडी गई किसी बात की विधिमान्यता प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

२९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा अवसर उद्भत हो, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंम्भण से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

बेहतर प्रशासन, लोकजीवन के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र पर मूलभूत विकास के लिये आवश्यक है । बेहतर प्रशासन के तीन आवश्यक मूलतत्व प्रशासन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रतिक्रियाशीलता है । लोग और प्रशासन के बीच के संबंध का सुधार करने और मजबूत बनाने के लिये, महाराष्ट्र सरकार एक विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है ताकि जिससे प्रशासन में उत्तरदायित्व, प्रतिक्रियाशीलता और पारदर्शिता लायी जा सकेगी ।

२. प्रस्तावित विधि की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(क) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर, पात्र व्यक्ति को लोक सेवाएँ प्राप्त करने के लिये अधिकार सृजित करना ;

(ख) अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को पदाभिहित अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी का उपबंध करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन, सार्वजनिक प्राधिकरण को लोकसेवायें अधिसूचित करना, पदाभिहित अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारियों को अनुबद्ध समय-सीमा अनिवार्य करना ;

(घ) पात्र व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन के लिये विशिष्ट आवेदन क्रमांक देने का उपबंध करना, जिससे वह स्थिति की ऑनलाईन जाँच करेगा ;

(ङ) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और आयोग को अपील के लिये उपबंध करना ;

(च) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये, सेवा अधिकार के लिये, राज्य आयोग गठित करना ;

(छ) अनुबद्ध समय के भीतर, लोक सेवाओं की सुपुर्दगी में असफल अधिकारियों के संबंध में, शास्ति तथा दंडात्मक कारवाई के लिये उपबंध करना ;

(न) ऐसे अधिकारियों को, जो अनुबद्ध समय-सीमा के पूर्व लोकसेवाओं की सुपुर्दगी करते है नगद प्रोत्साहन और प्राधिकारी को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने में बेहतर प्रदर्शन करते है, बधाई देने के लिये यथोचित पुरस्कार देने के लिये उपबंध करना, और

(झ) पात्र व्यक्ति, जो जानबूझकर झूठी या तुच्छ सूचना या झूठे दस्तावेजों द्वारा लोक सेवायें प्राप्त करता है, के विरुद्ध कारवाई करने के लिये उपबंध करना ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित ६ अप्रैल २०१५ ।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये, निम्नलिखित प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :–

खण्ड १.— इस खण्ड के अधीन, जिस दिनांक को यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, वह **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करने की शक्ति, राज्य सरकार को दी गई है ।

खण्ड ३.— इस खण्ड के अधीन, सार्वजनिक प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन, ऐसी सेवाओं को प्रस्तुत किया जायेगा उनके भीतर पदाभिहित अधिकारी प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा अनुबद्ध समय-सीमा को अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

खण्ड ४(२).— इस खण्ड के अधीन, जैसा कि नियमों में यथाविहित निर्वाचन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के अवधि के दौरान, अनुबद्ध समय-सीमा विस्तारित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड ८.— इस खण्ड के अधीन,—

(क) खण्ड (१) में, सुनवाई के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए और उत्तरवर्ती सम्यक् विहित प्रक्रिया द्वारा अपील का निर्णय करने के लिए वर्ग "ख" की श्रेणी से अनिम्न या पदाभिहित अधिकारी को श्रेणी मे जो वरिष्ठतम है उसके समान श्रेणी के अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड (२) में, द्वितीय अपील की सुनवाई करने और निर्णय करने के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रुप में जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठतम है, उसे नियुक्त करने की शक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रदान की गई है ;

खण्ड ९ (५) और १६ (२).–इस खण्ड के अधीन, जिसके लिये प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा आयोग, क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सन् १९०८ का ५) के अधीन सिविल दावों के विचारण के दौरान, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होकर संबंधित मामले को विहित करने की शक्ति, राज्य सरकार को दी गई है;

खण्ड १०.— इस खण्ड के अधीन,–

(क) उप-खण्ड (१) में, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति की रकम समय-समय से पुनरीक्षित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है;

(ख) उप-खण्ड (२) में, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पर अधिरोपित शास्ति की रकम, समय-समय से पुनरीक्षित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

खण्ड १३— इस खण्ड के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, सेवा अधिकार के लिये एक राज्य आयोग का गठन करने, और जिस समय तक आयोग का गठन हो, तब तक **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार या प्रत्येक राजस्व विभाग में विभागीय आयुक्त या किन्हीं अन्य सरकारी अधिकारी की, सहमति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को आयोग की शक्तियाँ और कृत्य सौंपने के लिये की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड १४— इस खण्ड के अधीन,—

(क) उप-खण्ड (२) में, इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररुप विहित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

(ख) उप-खण्ड (५) में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंदों की देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य शर्तें और निबंधन विहित करना ।

खण्ड २० (५)— इस खण्ड के अधीन, पदाभिहित अधिकारी जिसके विरुद्ध एक वर्ष में कोई चूक प्रतिवेदित नहीं की गई है और जो अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर, सेवाएँ देता है, उसे दी जानेवाली नकद प्रोत्साहन की रकम अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड २८— इस खण्ड के अधीन, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यन्वित करने के लिये, नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड २९— इस खण्ड के अधीन, **राजपत्र** में किसी प्रकाशित आदेश द्वारा, किन्हीं कठनाई जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत हो सके उसके निराकरण की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के हैं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड १३, राज्य में सेवा के अधिकार के लिये राज्य आयोग के गठन और प्रस्तावित अधिनियम के उचित कार्यन्वयन सुनिश्चित करने के लिये, प्रत्येक राजस्व विभाग में सेवा के अधिकार के लिये, राज्य मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त की नियुक्ति के लिये उपबंध करता है। इस विधेयक के उपबंधों के कार्यन्वयन के लिये, आयोग के गठन, किसी कार्यालय और कर्मचारिवृन्द की स्थापना, वेतन, अन्य विविध खर्च आदि, २२,१७,९७,००० रुपये खर्च होगी। उस रकम में से, आवर्ती खर्च १९,१७,९७,००० रुपये और अनावर्ती व्यय, ३,००,००,००० रुपये होगा। इस अधिनिमय की अधिनियमिति पर उक्त खर्च की समेकित निधि में से पूरा करना होगा।

(यथार्थ अनुवाद)

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खण्ड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र लोकसेवाओ का अधिकार विधेयक, २०१५ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ८ अप्रैल, २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.